समाहरणालय, सरायकेला–खरसावाँ

कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 02/2018-19

1.	विज्ञापन दाता का नाम एवं पता	–	परियोजना निदेषक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ
2.	परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि	–	**दि0 09.07.2018 से 10.07.2018 तक।**
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	–	**दि0 11.07.2018 के 1.00 बजे अपराहन् तक।**
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	–	**दि0 11.07.2018 के 3.00 बजे अपराहन्**
5.	परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	–	परियोजना निदेषक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ।
6.	निविदा प्राप्ति एवं खुलने का स्थान	–	परियोजना निदेषक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ।

7. कार्य की विवरणी :

क्रम सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	आश्रम आवासीय विद्यालय, कुचाई, सरायकेला–खरसावाँ में षिक्षक आवास का निर्माण कार्य	2499500.00	50000.00	5000.00	09 माह

8. निविदा के नियमों एवं शर्त्तों को बेवसाईट www.seraikella.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

ह0 / –
परियोजना निदेषक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सरायकेला–खरसावाँ।

निविदा की शर्तेः—

1 परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राषि के आधार पर अग्रधन की राषि मान्य होगी।

2 किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षिण नहीं किया जाएगा।

3. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जायेगा जो परियोजना निदेषक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ के पद नाम से निर्गत होगा एवं सरायकेला में भुगतेय होगा।

4. परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ सिर्फ झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य विभाग में समुचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आचरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न जमा प्रमाण पत्र, GST निबंधन प्रमाण–पत्र के साथ–साथ अद्यतन GST Clearance (भुगतान) की स्थिति संबंधी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

5. अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवें निर्गम) या पांच वर्षीय सावधि जमा पासबुक अथवा अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक गारंटी देय होगा, जो परियोजना निदेषक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ के नाम से प्रतिज्ञित होगा।

6. संवेदक को निविदा के साथ सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. विषेष परिस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बतायें निविदा रद्ध करने अथवा स्थगित करने तथा निविदा की शर्त्तों में संषोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8. कार्य स्थल पर संवेदक को साईनबोर्ड लगाना होगा जो विभाग द्वारा अनुमोदित होगा।

9. कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं बिजली–पानी की व्यवस्था करनी होगी।

10. कार्य आवंटित होने पर एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा अन्यथा निविदा को रद्ध करते हुए द्वितीय न्यूनतम संवेदक को आवंटित कर दिया जायेगा।

11. संवेदक द्वारा समान प्रकृति के किसी एक कार्य में प्राक्कलित राषि का कम से कम 60% मूल्य के कार्य निष्पादन करने का अनुभव होना चाहिए। इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवष्यक है।

12. विषेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्य स्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।

13. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा लेकिन किसी प्रकार का अन्तर मूल्य का दावा मान्य नहीं होगा।

14. परिमाण विपत्र क्रय के समय वांछित कागजात की मूल प्रति भी साथ लावें। आवष्यकता पड़ने पर मूल प्रमाण पत्र भी दिखाना अनिवार्य होगा।

15. जिन संवेदक का आई0टी0डी0ए0 के अन्तर्गत कार्य चल रहा है तथा पूर्व में आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरान्त सबलेट करना एकरारनामा के शर्त्तो का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्ध करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।

17. अनुसूचित दर से 10% अधिक निम्न दर निवेदित करने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाऐगा।

18. विभाग द्वारा अनुमोदित नक्षा, स्वीकृत प्राक्कलन, विषिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य करना होगा।

19. संवेदकों द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान सरायकेला–खरसावाँ के कोषागार के माध्यम से/आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से किया जायेगा।

20. आयकर, रॉयल्टी, सेवा एवं वस्तु कर (GST), लेबर सेस एवं अन्य करों की राषि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जाएगी।

21. निविदादाता को योजना से संबंधित Work Program देना अनिवार्य होगा।

22. निविदा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

23. निविदादाताओं को निविदा के साथ काली सूची में नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र (मूल रूप में) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
परियोजना निदेषक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सरायकेला–खरसावाँ।